

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :-श्री भागीरथ राम आर.ए.एस.

मि०न० -238/2025

अनवान : -

1. रामप्रताप पुत्र श्री जगमाल जाति खाती निवासी भरवाना तहसील भादरा।

:-वादी

बनाम

1. जगमाल पुत्र श्री बस्ती उर्फ बस्तीराम जाति खाती निवासी भरवाना तहसील भादरा।
2. ओमप्रकाश जांगिड पुत्र जगमाल जाति खाती निवासी भरवाना तहसील भादरा।
3. दयाराम पुत्र जगमाल जाति खाती निवासी भरवाना तहसील भादरा।
4. शांती देवी पत्नी जगमाल जाति खाती निवासी भरवाना तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा

:-प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ भागीरथ राम उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल बेरवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री अजीत कुलहरी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 जीजीएम के खाता सं. 29/29 के मु० नं० 11 के किला नं. 21, मु० नं० 12 के किला नं. 16 ता 20, 25. मु० नं० 13 के किला नं. 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, कुल खसरा 11 की 2.087 हैक्टर जिसमें नहरी 2.037 हैक्टर, गै०मु० खाला 0.050 हैक्टर, प्रतिवादी सं. 1 जगमाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है एवं चक 3 एमएसआर के खाता सं. 45/43 मु० नं० 44 के किला नं. 7, 14, 15, 16, 17, 24, 25 कुल खसरा 7 की 1.7710 हैक्टर बारानी प्रतिवादी सं. 1 जगमाल के नाम दर्ज भूमि में वादी संख्या 1 रामप्रताप एवं प्रतिवादी संख्या 1 जगमाल प्रतिवादी संख्या 2 ओमप्रकाश जांगीड़ प्रतिवादी संख्या 3 दयाराम को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं एवं यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(भागीरथ राम)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S
भादरा जिला हनुमानगढ़
भादरा जिला हनुमानगढ़

